

लोग पार्टी का घोषणा पत्र

वर्ष 2021 के भारत की परिभाषा एक ऐसे देश के रूप में की जा सकती है जिसकी अपार क्षमता का आज तक ठीक से उपयोग नहीं हो पाया है। 135 करोड़ की जनसंख्या वाला यह देश, जहां 65 प्रतिशत लोगों की अवस्था 35 वर्ष से कम है, आज एक नई ऊर्जा, आशा एवं आकांक्षा से धड़क रहा है। हर हिन्दुस्तानी की यही इच्छा है कि वह एक शान्तिपूर्ण, सम्मानित जीवन जिये, जहां उसे हर दिन दो जून की रोटी की चिन्ता न करनी पड़े, जहां वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके और जहां सामाजिक पायदान पर वह सामान्य रूप से ऊपर उठ सके। आम आदमी का यह सपना, उसकी ये आशा और आकांक्षा सर्वथा स्वाभाविक है, और इससे कम कोई नागरिक सोच भी क्या सकता है?

स्वतंत्रता के पश्चात, कुछेक क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियों के बावजूद बड़े पैमाने पर शहरों और गांवों में आम आदमी की जिन्दगी में कोई विशेष सुखद परिवर्तन नहीं आ पाया। बड़ी समस्यायें जस की तस हैं— चाहे साक्षरता अथवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, जेब पर भारी न पड़ने वाली स्वास्थ्य सेवायें हों या फिर रोजगार के अवसर हों। अमीरों और किसी हद तक शिक्षित मध्यम वर्ग को छोड़कर शेष जनता के लिये जीवन सुबह से शाम तक चलने वाला, अपने सम्मान को बचाये रखने का, एक दैनिक संघर्ष बन कर रह गया है। जब यह दशा देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या की हो, तो इस बात पर क्या आश्चर्य हो सकता है कि देश की विकास असीमित क्षमता का अधिकांशतः उपयोग आज तक नहीं हो सका है।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आज तक देश की इस क्षमता का उपयोग क्यों नहीं हो पाया है? यह किन लोगों की गलती है? हमारे विचार से सत्तारूढ़ वर्ग ने आम आदमी के नाम पर अपनी ताकत एवं प्रभाव का खूब इस्तेमाल किया है और सत्ता का ज्यादातर उपयोग अपने फायदे के लिये किया और सामान्य जनता के कल्याण को ताक पर रख कर सदैव केवल अपना ही हित साधा है। हमारे देश के राजनीतिक दलों ने बड़ी ही चालाकी से समय—समय पर होने वाले आम चुनावों से प्राप्त तथाकथित “जनादेश” के नाम पर सत्ता और देश का शोषण करती आई है। स्पष्ट रूप से इस व्यवस्था के शिकार गांवों और शहरों में रहने वाले गरीब लोग ही हैं जिनके लिये अपनी इज्जत बचाये रखना ही अब उनके जीवन का उद्देश्य रह

गया है। जिन्दगी से मौत तक, उन्हें निर्दयी, शोषण करने वाले अफसरशाहों और राजनीतिक गुण्डों का आतंक झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से सुशासन, संवेदनशील, ईमानदार एवं जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों की अपेक्षा करना ही बेमानी हो जाता है।

राजनीतिक दल आज तक जनता की मूल समस्याओं जैसे गरीबी, अवस्थापना सुविधाओं का अभाव, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा इत्यादि समस्या समाधान के लिये कोई स्पष्ट आर्थिक नीति अथवा रास्ता नहीं बना पाये हैं। शुरू में शासकों ने विकास का सोवियत मॉडल अपनाया और बाद में उसी दल ने सब उलट पलट कर अमरीकी मुक्त मण्डी (फ्री मार्केट) को विकास की धुरी बनाया। इधर हाल में अमरीकी और चीनी आर्थिक मॉडल और पद्धतियों की खिचड़ी देश में विकास की नई राह बनती दिख रही है। विकास के आधार मार्ग और नीति को लेकर संशय और अस्पष्टता देश की प्रगति के लिये बड़ी महंगी सिद्ध हो रही है।

आज की परिस्थिति में यह अपरिहार्य है कि हम तुरन्त अपनी आवश्यकताओं, सांस्कृतिक परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों, वृहत जनसंख्या एवं विशाल स्वदेशी मण्डी के परिप्रेक्ष्य में विकास के एक सर्वग्राह्य एवं सर्वव्यापी आधार का निर्माण करें।

यदि देश को अपनी असीम संभावनाओं एवं क्षमता को मूर्तरूप देना है तो अब समय आ गया है कि हम एक नवीन राजनीति की संरचना करें— जो अभी तक देश में प्रचलित राजनीति से बिलकुल अलग हो। कथनी और करनी के अन्तर को पाटना होगा। इस स्थिति को समाप्त करना होगा कि समर्थजन खुद तो खाये पुलाव और आम जनता को सूखी रोटी भी नसीब न हो। इस देश की आम जनता ने बारम्बार ऐसे नेताओं को बहुमत देकर अपना विश्वास दिया है, जिनका दावा था ‘गरीबी हटाओ, गुंडाराज का अन्त’, ‘हमें स्वराज्य चाहिये’, ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ आदि लेकिन हर बार आमजन अंत में घोर निराश ही हुआ है। यह क्रूर मजाक, आखिर कब तक? याद रहे यह कहावत कि ‘सभी लोगों को कुछेक समय तक मूर्ख बनाया जा सकता लेकिन सभी लोगों को सब समय के लिये मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसलिये हमारे विचार से नई राजनीति का समय आ चुका है।

लेकिन यह नई राजनीति है क्या, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं? यह कोई विदेश से आयात की हुई चीज नहीं है। बल्कि यह बड़ी साधारण और जमीनी है, जिसकी

जड़ हमारी परम्पराओं और हमारी संस्कृति में है। यह नई राजनीति सत्य की नींव पर खड़ी है। इस नई राजनीति में वह सब कुछ होगा जिससे आदमी एक अच्छा इंसान बनता है।

प्रश्न है कि आम लोग “नई राजनीति” के पैरोकार और अनुयायियों को पहचानेगे कैसे? हमारे विचार में उन्हें निम्नलिखित कसौटी के आधार पर परखा जा सकता है :-

1. क्या उनकी कथनी—करनी में अतंर है ?
2. क्या उन्हें अपने कहने में विश्वास है अथवा वे सिर्फ मुहावरों और कही सुनी बातों के जरिये वोट हासिल करना चाहते हैं ?
3. क्या उनका जीवन उनके द्वारा बताये जा रहे आदर्शों के अनुरूप रहा है ?
4. क्या उनकी दृष्टि में ‘साधन’ और ‘साध्य’ की शुद्धता का कोई महत्व है ? या कि वे भी बाद में सत्ता प्राप्ति के लिये जाति, धर्म, धन, बाहुबल झूठे वायदों और छल का उपयोग करेंगे?
5. क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है?

हम जानते हैं कि कोई भी आदमी सर्वगुण सम्पन्न नहीं होता लेकिन नई राजनीति पर अमल करने वालों को अच्छा आदमी होना पड़ेगा। उन्हें ईमानदार, सीधा और निष्ठावान होना चाहिये। उनका व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन सत्य से प्रेरित होना चाहिये। उनके जीवन में अहम तथा दम्भ को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये। जनहित को सदैव निज हित के ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिये। यह बड़े असाधारण गुण हैं जो सामान्यतः लोगों में कम पाया जाता है लेकिन जब आप 135 करोड़ लोगों को नेतृत्व देने की बात कर रहे हों तो इससे कम पर बात नहीं बनेगी।

काफी अरसे से हमने अच्छे लोगों पर कीमत लगाने से इन्कार कर दिया है और अपने निर्णयों में हमने जाति, धर्म, धन, झूठे वादे और सफेद झूठ का ही आसरा लिया। हम चाहते हैं कि हम उपर की गई पांच शर्तों पर ही तौले जायें। हम जनता के समुख सब तथ्यों को रखेंगे और फैसला उन्हीं पर छोड़ देंगे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनमत ही सर्वोपरि है और उसका सबको सम्मान करना चाहिये। हम

नई राजनीति के प्रति समर्पित हैं, भले ही उसके जो भी नतीजे निकलें। हमारे लिये राजनीति एक व्यवसाय नहीं है। हमने अपनी सम्पूर्ण योग्यता, क्षमता, निष्ठा का प्रयोग करते हुये देश एवं समाज की सेवा की है और अब हमें विश्वास हो चला है कि देश के विकास की कुंजी मात्र नयी राजनीति के अनुसरण में है। अतएव हम पूरी तरह नयी राजनीति के प्रति निष्ठावान हैं।

आइये देखें कि आम जनता इस नये राजनीतिक दल लोग पार्टी से हमारी क्या अपेक्षा कर सकते हैं—

सर्वप्रथम, प्रत्येक नागरिक को एक शान्तिमय एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। यह तभी सम्भव है जब देश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था ठीक हो। कानून का ही शासन होना चाहिये, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता और न ही उसे कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत दी जा सकती है।

यूं तो इस तरह का वादा हर राजनीतिक दल करता है और जब वे सभी ऐसा कर पाने में विफल हो गये तो इस बात की क्या गारण्टी है कि राजनीति में नया प्रवेश करने वाले भी असफल नहीं होंगे। हमें याद रखना होगा कि स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे देश में पुलिस की कार्य प्रणाली एक विशेष प्रकार की रही है जिसे मोटे तौर पर शासक दल के पालतू 'वर्दीधारी गुण्डा' की संज्ञा दी जा सकती है। नई राजनीति में विश्वास रखने वाली लोग पार्टी की हम सबकी मान्यता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई 'तेरा आदमी मेरा आदमी' नहीं है और जो भी कानून का उल्लंघन करे उसे कानून का दंड सहन करना पड़ेगा। हमारा यह भी विश्वास है कि किसी भी अन्य सरकारी महकमे की तरह पुलिस भी उसी तत्परता और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है यदि उसे उचित नेतृत्व मिल जाये। हमारे पास कानूनों और नियमों का एक बड़ा जखीरा है जिससे हम सभी नागरिकों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा करते हुये देश में प्रभावी कानून लागू कर सकते हैं। कमी इस बात की है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक ही समान की कार्यवाही नहीं हो पाती। हमें यकीन है कि "कानून का शासन" असरदार ढंग से लागू किया जा सकता है क्योंकि कानून के सामने सभी बराबर हैं और इसलिये "यह मेरा आदमी है", "ये उसका आदमी है" का सवाल ही नहीं उठता।

दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी पारदर्शी संवेदनशील और प्रभावशाली प्रशासन व्यवस्था देंगे। इसमें भ्रष्ट आचरण की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बल इस बात पर रहेगा कि “बड़ी मछली को भून दिया जाय” ताकि सबको यह संदेश हो जायेगा कि हम भ्रष्टाचार को बिलकुल भी बर्दाशत नहीं करेंगें। हमारी पार्टी तुरन्त ही एक “इन्टीग्रिटी कमीशन” (निष्ठापूर्ण आचरण आयोग) बनायेगी। जो लगभग 5000 शीर्षस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की चल एवं अचल सम्पत्ति की जांच करेगा, कि दर्शाये गये आय स्रोतों से उनकी माली हैसियत कितनी ऊपर है। इस प्रकार यह धारणा समाप्त हो गयी कि भारत में बिना हथेली गरम किये कोई काम नहीं होता। भ्रष्टाचार निवारण प्रकोष्ठों को शक्तिशाली बनाया जायेगा और एक पारदर्शी संवेदनशील और प्रभावी शासन तंत्र आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्थापित किया जायेगा।

तीसरा, राजनीति में धन और बाहुबल की कोई भूमिका नहीं होगी। लोग पार्टी नयी राजनीति का अनुसरण इस प्रकार से करेगी कि चुनाव के खर्चों के लिये काले धन की जरूरत ही न पड़े और राजनीति ईमानदारी से की जाय तो हम लोगों के विचार से चुनावी सुधार आसानी से पूरे के पूरे लागू किये जा सकते हैं। अकेले कानूनों से चुनाव में सुधार नहीं आ सकता। जनता का समर्थन और नयी राजनीति के पैरोकारों को वोट देकर चुनाव—सुधार का वातावरण शीघ्रता से बनाया जा सकता है जिसकी हम लोगों को स्वतंत्रता के बाद से प्रतीक्षा रही है।

चौथा, देश के प्रत्येक नागरिक को एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है और यह तभी सम्भव है जब प्रत्येक नागरिक अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था, रोजगार के लिये अच्छे कौशल एवं एक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सके, ताकि कमज़ोर और निःसहाय लोगों का पूरा पूरा ध्यान रखा जा सके।

पांचवा, शहरी और ग्रामीण जीवन के ढांचों को नये सिरे से बनाने की नितान्त आवश्यकता है ताकि दोनों ही स्थानों के लोग सम्मान से जी सकें। हमारा मानना है कि गांवों के पुनर्विकास शीघ्रातिशीघ्र, एक चरणबद्ध तरीके से किया जाये ताकि गांवों में रहने वालों को भी समस्त आधुनिक सुख—सुविधायें मिल सकें। इससे बड़े

पैमाने पर रोजगार के अवसर विकसित होंगे और देश की आर्थिक प्रगति को भी बल मिलेगा।

छठां, यदि ईमानदारी से कर वसूली की जाये और काले धन को पनपने से रोका जाय तो देश के विकास के लिये आवश्यक संसाधन बिना किसी कठिनाई के जुटाये जा सकते हैं।

हमारा मानना है कि जहां चाह है वहां राह है। व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनता की सभी व्यवस्थाओं को हल किया जा सकता है। सरकार के विभिन्न विभागों जैसे— न्याय पालिका, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सुरक्षा, पुलिस, उच्च शिक्षा, विज्ञान टेक्नोलॉजी आदि में कार्य करने से जो अमूल्य अनुभव हमने इकट्ठा किया है वह किसी भी अन्य राजनीतिक दल अथवा संस्था को उपलब्ध नहीं है। साथ ही, योजनाओं और नीतियों के अनुपालन हेतु जो दृष्टि एवं अनुभव होना चाहिये वह हमारे पास है। हमें लगता है कि जनता के प्रति हमारा फर्ज है कि उन्हें धन, बाहुबल, जाति एवं धर्म द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को विषावत बनाने वालों के विरुद्ध विकल्प स्वरूप एक विश्वसनीय राजनीतिक संगठन प्रदान किया जाये इसीलिये लोग पार्टी का गठन किया गया। यह दर्शाने की आवश्यकता है कि राजनीति, ईमानदारी से विकास पर बल देते हुये की जा सकती है और यह भी कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार जीवन में सम्मान और अवसर शुद्ध राजनीति के माध्यम से दिया जा सकता है।

स्पष्टतया समय की मांग है कि राजनीति को एक बिल्कुल नई दिशा की ओर मोड़ा जाय, पूरी सोच समझ के साथ। हमारा उद्देश्य रहा है कि हम एक वैकल्पिक नेतृत्व की संरचना करें जो जमीनी हकीकत से जुड़ा रहेगा और उसका ध्यान जाति, धर्म, धन अथवा बाहुबल पर न होकर प्रगति एवं विकास तथा एक समर्पित प्रशासन पर केन्द्रित रहेगा। सार्वजनिक जनजीवन में ईमानदारी एवं निष्ठा लाने का यह एक ईमानदार प्रयास है।

देश के पुनर्जीवन का दिशा चित्र

- यह सुनिश्चित करने के लिये कि समस्त नागरिकों को उनकी सामाजिक, आर्थिक, जातीय एवं धार्मिक पृष्ठभूमि से हटकर, जीवन में प्रगति एवं अपने सपनों को फलीभूत होते देखने का समान अवसर प्राप्त हों।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि हर परिवार का अपना एक घर हो, जो बिजली स्वच्छ जलापूर्ति, प्रसाधन सुविधा, स्वच्छ वातावरण, रसोई आदि से युक्त हो तथा हर सदस्य को पोषण हेतु स्वस्थ भोजन और पहनने को समुचित वस्त्र उपलब्ध हों।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि बिना भय अथवा पक्षपात के हर नागरिक को न्याय मिले और बिना अपवाद “कानून का राज” लागू हो सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रत्येक नागरिक को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध हों।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रत्येक नागरिक अपना जीवन सम्मानपूर्ण, शान्तिमय एवं भयमुक्त रूप से जिये।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि हमारे देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और ‘सत्यमेवजयते’— सत्य की विजय होगी, एक वास्तविकता बन जाये।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रत्येक नागरिक के हृदय मानस में देश के प्रति गर्व का भाव उपजे और हर धर्म, आस्था एवं जीवन शैली के प्रति आदर रहे। राष्ट्र द्वारा धर्म निरपेक्षता के दृढ़ पालन में किसी को भी रुकावट डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि हमारा देश हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हों।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति एवं देश के पुनर्झज्जीवन के लिये हमारी लोग पार्टी ने, गम्भीरतापूर्ण विचार-विमर्श करने के बाद निम्नलिखित कदम उठाने का दृढ़ संकल्प लिया है। लोग पार्टी का वादा है कि उसके कथनी करनी में कोई अन्तर नहीं होगा तथा हम जो वादा जनता से कर रहे हैं उन्हें हम पूरा करके रहेगे—

चुनावी सुधार

- लोग पार्टी स्वेच्छा से सूचना का अधिकार अधिनियम का पूर्ण पालन करेगा।
- ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो बदनाम हो अथवा जिसका अपराधिक रिकार्ड हो उसे पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने दिया जायेगा और न ही उसे पार्टी में प्रवेश दिया जायेगा।
- चुनावों में धन—बल के वर्चश्व को समाप्त किया जायेगा और चुनाव आयोग द्वारा नियत चुनावी खर्च की ऊपरी सीमा का सभी को सख्ती से पालन करना पड़ेगा।
- पार्टी के समस्त क्रियाकलाप में पारदर्शिता अनिवार्य रूप से बरती जायेगी। अन्याय एवं अविश्वास पर आधारित शासन व्यवस्था को बदला जायेगा
- अभी व्यवस्था का आधार अविश्वास है और यही कारण है कि आज सभी मामलों में सत्यापन की रिपोर्ट और अनेक स्तरों पर जांच पड़ताल का मकड़जाल फैला हुआ है। इस संस्कृति को दुरुस्त कर इसके स्थान पर एक जन संवेदनशील व्यवस्था लाई जायेगी।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जब व्यवस्था को अपने नागरिकों में विश्वास है तो इस विश्वास का हनन करने वाला कोई भी हो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय।
- व्यवस्था में स्वयं प्रमाणित— स्वयं सत्यापित पत्र/दस्तावेज स्वीकार्य एवं मान्य होंगे और वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड आदि का उपयोग व्यवस्था को और सरल बनाने के उद्देश्य से किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिये एक “समान अवसर आयोग” का गठन किया जायेगा जो सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा, समस्त सरकारी सेवाओं, संस्थागत वित्त एवं सरकार तथा उसके अन्य अंगों द्वारा संचालित एवं कार्यान्वित विभिन्न विकास एवं कल्याण योजनाओं तथा कार्यक्रमों में समर्त धर्मावलम्बी एवं भाषा—भाषी व्यक्तियों को न्यायोचित ढंग से बराबरी के आधार पर उनका अधिकार मिले।

कानून एवं व्यवस्था

- कानून एवं व्यवस्था का अनुपालन हर कीमत पर किया जायेगा और कानून द्वारा शासन के सिद्धान्त को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जायेगा।

- कानून को लेकर प्रत्येक नागरिक को समान सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
- जघन्य अपराध एवं आतंक सम्बन्धी सभी मामलों में जांच करने वाले विभागों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जायेगा।
- उपरोक्त मामलों में गलत ढंग से बरी लोगों के मामलों की स्वतंत्र रूप से जाने माने कानूनविदों द्वारा जांच कराई जायेगी और बिना भय अथवा पक्षपात के अपराधियों को दण्डित किया जायेगा तथा पीड़ितों को उचित मुआवजा मिलेगा।
- अपराधियों को कानून के अनुसार कठोर से कठोर दण्ड दिया जायेगा।
- माफिया तत्व एवं ऐसे अपराधी जिन्होंने आतंक और बाहुबल तथा राजनीतिक पहुंच के दम पर बड़े आर्थिक साम्राज्य खड़े कर लिये हों, के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर छह महीनों के अन्दर ही कार्रवाई की जायेगी।
- बहादुर, ईमानदार और कर्मठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों का एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया जायेगा और बड़े अपराधियों की एक सूची तैयार की जायेगी। इनके विरुद्ध सभी पुराने मामलों की जांच 2 महीनों में पूरी कर ली जायेगी और उन्होंने जो अपराध किये हैं उसके लिए मुकदमा चलाया जायेगा।
- प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त पहचाने हुये शीर्ष अपराधियों के विरुद्ध सभी जिलों में चल रहे अदालती मामलों का निस्तारण 3 महीनों के भीतर कर दिया जायेगा।
- ऐसे सभी मामले जो जघन्य अपराधियों/माफियाओं के विरुद्ध दर्ज न की जा सकी हो, उन्हें पंजीकृत किया जायेगो और उस पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि हर अपराध का पंजीकरण हो और हर अपराधी को कानून के अनुसार दण्ड मिले।
- गवाहों की सुरक्षा के लिये कारगर कदम उठाये जायेंगे।
- पुलिस प्रणाली में आवश्यक सुधार किये जायेंगे ताकि पुलिस बिना किसी दबाव के कार्य करे।

- पुलिस सुधारों का कार्यान्वयन में कहीं भी, कोई भी कमी नहीं छोड़ी जायेगी ताकि पुलिस जनता की मित्र बनकर कार्य करे।
- पुलिस कर्मियों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाया जायेगा ताकि वे ईमानदारी, कुशलता एवं निष्पक्षता से कार्य कर सकें।
- “पुलिस में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं”, इस पर सख्ती से अमल किया जायेगा।
- आई.बी. एवं रॉ को संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जायेगा और इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा।
- एक पुनरीक्षण समिति बनायी जायेगी, जो जांच करेगी कि प्रत्येक आतंक सम्बन्धी में मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में किसी भी निरपराध व्यक्ति को जेल इत्यादि न जानी पड़े और प्रत्येक को न्याय मिले।
- आतंक से सम्बन्धित मामलों में विशेष अदालते गठित की जायेगी ताकि ऐसे सभी मामलों का शीघ्रातिशीघ्र न्यायपूर्ण निस्तारण किया जाये।
- ऐसे सभी व्यक्तियों के प्रति कठोर कार्रवाई की जायेगी जो अपने शब्दों एवं अपनी हरकतों से विभिन्न समुदायों में वैमनस्य फैलाते हैं और एक—दूसरे के विरुद्ध लोगों को उकसाकर वातावरण दूषित करते हैं।
- सभी आपराधिक मामलों में, यदि उनका सम्बन्ध विभिन्न धर्मों और विभिन्न भाषायी समुदायों से हो, तो 6 महीने के अन्दर ऐसे मामलों का निवारण किया जायेगा। यदि ऐसे अपराध संसद, विधानसभा अथवा स्थानीय निकायों में चुनाव की प्रथम घोषित तारीख के 6 माह के अन्दर किये जायें तो दण्ड दोगुना कर दिया जायेगा।
- झूठी पुलिस मुठभेड़ों का अन्त कर दिया जायेगा और इसमें लिप्त पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
- किसी को भी दूसरे समुदाय अथवा समूह के लोगों के धर्म एवं विश्वास में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- संविधान द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हर कीमत पर की जायेगी।

न्यायिक सुधार

- न्याय पालिका की स्वतंत्रता को हर दशा में अक्षुण्ण रखते हुये संविधान के बुनियादी नियमों की पूर्ण सुरक्षा की जायेगी।
- न्याय दिलाने की एक प्रभावी प्रक्रिया स्थापित की जायेगी ताकि अधिक से अधिक 6 महीनों में सब प्रकार के वादों को निपटाया जा सके।
- सभी अदालतों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित कर पूर्णतया आधुनिक बनाया जायेगा ताकि न्याय प्रणाली अधिक सक्षम एवं कुशल हो सके।
- आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न स्तरों अदालतों की संख्या में 3 गुना तक वृद्धि की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- वकीलों को सम्मान के साथ कार्य करने के लिये अवसर एवं स्थान की व्यवस्था ताकि वे पूर्ण क्षमता से कार्य कर सकें।
- इसी प्रकार की सुविधायें वादियों-प्रतिवादियों को भी उपलब्ध करायी जायेंगी।
- विश्वविद्यालयों से निकले हुये युवा कानून स्नातकों- वकीलों को आवश्यक कानूनी कुशलता प्रदान करने के लिये निःशुल्क 6 माह का प्रशिक्षण (स्वैच्छिक)।

भ्रष्टाचार उन्मूलन

- सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से जनता अब तक त्राहि-त्राहि कर रही है इसलिये सभी उपायों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि भ्रष्टाचार पूर्णतया समाप्त हो तथा व्यवस्था में बैठे समस्त भ्रष्ट तत्वों को बिना दया दिखाये कठोर दण्ड दिया जाये।
- व्यवस्था के सभी भ्रष्ट तत्वों की नियमित रूप से सफाई करते रहना हमारी प्राथमिकता होगी। अपने ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक धन/सम्पत्ति जिन्होंने इकट्ठा कर रखी है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जायेगा और उनकी नाजायज जायदाद को जब्त कर लिया जायेगा।
- भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु “ऊपर से नीचे” की पद्धति पर अमल किया जायेगा क्योंकि हमारा मानना है भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर चलता है।
- एक निष्ठा आयोग गठित किया जायेगा जो अनिवार्यता उन सभी व्यक्तियों की धन सम्पत्ति की नियमित जांच किया करेगा जो सेवाओं में उच्च पदों पर

आसीन है अथवा अवकाश ले चुके हैं चाहे वे राजनीतिक हो अथवा आपराधिक।

मजदूरी

- न्यूनतम मजदूरी की दरों को कम से कम दोगुना किया जायेगा और प्रति घंटा मजदूरी इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि कामगार एक सम्मानित जीवन का निर्वाह कर सके।
- व्यावसायिक कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को, जिनके पास आवश्यक कौशल गुणवत्ता का प्रमाण पत्र है प्रति घंटा मजदूरी 30 प्रतिशत अधिक दी जायेगी।
- अन्य व्यवसायों जैसे : ट्रायलेट, सड़क, कूड़ा और करकट की सफाई इत्यादि, के लिये अन्य व्यवसायों की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक मजदूरी अनुमन्य होगी।
- इस पुनरीक्षण से ऐसे वर्ग के लोगों का न केवल जीवन स्तर ऊपर उठेगा बल्कि इनकी जीवन शैली की गुणवत्ता में भी पर्याप्त सुधार होगा।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से गरीब तबके की जनसंख्या को अतिरिक्त आमदनी मुहैया कराने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा प्रयास होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार

- हर स्तर के छात्रों के लिये शिक्षा निःशुल्क होगी।
- हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयत्न किये जायेंगे।
- कन्या छात्रों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता।
- शिक्षा व्यवस्था का विकास इस प्रकार किया जायेगा कि हर नागरिक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के स्वर्जन को जी सकेगा।
- दोहरी शिक्षा व्यवस्था का अन्त, यानी अलग—अलग स्कूल गरीब के लिये और अमीर और बलशाली के लिये। 8 से 10 ग्रामों के एक समूह में आधुनिक शिक्षा के साधनों से युक्त स्कूल खोले जायेंगे जहां कम्प्यूटर, खेलकूद सुविधा और साथ में पूरी तरह प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होंगे, जो विद्यार्थियों को नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा के स्तर तक पढ़ायेंगे।

- बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, जल संवर्द्धन, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ संबंधी बुनियादी जानकारी, हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा सब धर्मों के लिये आदर इत्यादि मुद्दों पर विशेष बल दिया जायेगा।
- उच्चतम गुणवत्ता की वेब वीडियो पर आधारित शिक्षण सामग्री सभी विषयों और सभी कक्षाओं के लिये विकसित की जायेगी।
- यह स्कूल व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र के रूप में भी कार्य करेंगे, जहां संध्या कक्षायें चलायी जायेंगी। कुछेक स्थानों में मांग के अनुरूप डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम भी चलाये जा सकते हैं।
- दसवीं कक्षा के बाद 80 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया जायेगा जहां वे एक से लेकर छठें स्तर तक के सर्टिफिकेट कोर्स में किसी भी व्यवसाय का चयन कर सकेंगे। इन स्तरों को स्पष्ट रूप से नियमित शिक्षा धारा के समतुल्य माना जायेगा।
- एक भली—भांति परिभाषित समय सीमा के भीतर प्रत्येक युवा को उसकी/उसके पसंद के व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि, वे आर्थिक रूप से सक्षम एवं समाज के लिये लाभकारी हो सकें और वह कम से कम 15 हजार रुपये महीना कमाने में सक्षम हो सके।
- प्रत्येक स्कूल में खेल की सुविधायें स्थापित की जायेंगी और नियमित रूप से स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा ताकि विभिन्न खेलकूदों में प्रतिभाओं को चिन्हित किया जा सके जिन्हें उनके उच्चतम स्तर तक ले जाया जायेगा।
- पूर्णतया सुसज्जित ऐसे स्कूल समूहों से आर्थिक गतिविधियों की एक कड़ी विकसित होगी जो आगे चलकर ग्रामों में विशेष रूप से रोजगार सृजन में सहायक होगी।
- निकट के ग्रामों के बच्चों को बस द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने से अपने आपमें एक परिवहन व्यवस्था विकसित हो जायेगी और उससे भी नये रोजगारों के अवसर निकलेंगे।

- शिक्षा से सम्बन्धित इस प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों जैसे किताब की दुकानें, अन्य शैक्षिक उपकरण, स्कूल के लिये ड्रेस सप्लाई, कम्प्यूटर बिक्री एवं उनकी मरम्मत, स्कूलों की लैब के लिये सप्लाई किये जाने वाले सामान, इन सबको मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर खोलेंगे, जो अभी तक शहरों ही में सीमित थे।

स्वास्थ्य सेवायें

- उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवायें प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क प्रदान की जायेंगी।
- प्रत्येक नागरिक को उसी उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जायेगी जैसे कि अमीर, उच्च वर्गीय और शक्तिशाली लोगों को प्राप्त है। ताकि सभी नागरिक स्वस्थ रहें और सामाजिक तथा आर्थिक परिप्रेक्ष्य में यथासम्भव लाभदायक बने रहें।
- अस्पतालों को पूरी तरह आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित रखा जायेगा और हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को स्थापित किया जायेगा जहां प्रशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे।
- इन अस्पतालों की सेवायें निःशुल्क होंगी जिनमें दवाईयों का वितरण भी सम्मिलित है।
- हर मरीज की स्वास्थ्य रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी ताकि कभी कोई उसकी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर तुरन्त कार्रवाई की जा सके।
- स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि न केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा पर रहेगी बल्कि उन कारणों पर भी रहेगी जिनसे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाखों नये—नये पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ स्तर के पद सृजित किये जायेंगे।

ग्राम विकास

- हर गांव के लिये यह जरूरी है कि वहां भीतरी सड़कें हों, बिजली, जलापूर्ति, कूड़ा, मल एवं गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था हो तथा हर घर में शौचालय भी हो। साथ ही नियोजित रहन—सहन हो, अच्छे स्कूल हों,

छोटे-छोटे बाजार हों और गांवों तथा छोटे नगरों को परस्पर जोड़ने के साधन भी हों।

- ग्रामों की ऐसी विद्यमान दशा है उसके हिसाब से उपरोक्त ढंग पर ग्रामों का विकास कभी नहीं हो सकता है।
- ग्रामों के समुचित विकास के लिये वर्तमान ढुलमुल ढाँचे के बदले विकास के एक सम्पूर्ण आदर्श को अपनाया जायेगा, अमल में लाया जायेगा।
- इस ध्येय की पूर्ति के लिये ग्रामों के नये सिरे से संरचना की जायेगी तथा गांवों का विकास किया जायेगा। बुनियादी नागरिक सुविधायें जैसे कि अन्य विकसित देशों के ग्रामों में होती हैं उसी प्रकार उन्हें सभी को उपलब्ध कराया जायेगा और सबको आवास की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- नव विकसित ग्राम हर प्रकार से अधिकांशतः वर्तमान विकसित शहरों से कहीं बेहतर होंगे और शहरों की भागमभाग और परेशानियों से मुक्त रहेंगे।
- इस प्रकार की नागरिक सुविधाओं को चलाने के लिये बड़ी संख्या में प्रशिक्षित जन-बल की आवश्यकता पड़ेगी और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना के विकास के फलस्वरूप गांवों से शहरों की ओर जनता का जाना थम जायेगा और इस प्रकार शहरों पर बढ़ रहा दबाव भी घटेगा।

शहरी विकास

- शहरों का विकास उनके सम्पूर्ण रूप में किया जायेगा न कि वर्तमान में हो रहे छुट-पुट तरीके से।
- सभी को सस्ती और सबकी सामर्थ्य के भीतर समस्त नागरिक सुविधाओं से युक्त आवास व्यवस्था प्रदान की जायेगी।
- झुग्गी वाले इलाकों का विकास किया जायेगा और प्रत्येक परिवार को ऐसे मकान दिये जायेंगे, जिसमें पानी, बिजली, शौचालय, रसोई घर, गंदे पानी का निवास, ठीक-ठाक सड़कें और उन पर प्रकाश इत्यादि की व्यवस्था रहेगी।

- शहरी क्षेत्रों को समस्त आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त रखा जायेगा जैसे जलापूर्ति, गन्दे पानी की निकासी, कूड़ाकरकट निस्तारण के लिए प्लाण्ट इत्यादि।
- सभी बड़े—छोटे शहरों और नगरों में एक सस्ती सुलभ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरणों में स्थापित की जायेगी।
- वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न किये जायेंगे और हर प्रकार के प्रदूषण पर रोक लगायी जायेगी ताकि नगर और कस्बे प्रदूषण से मुक्त रहें।

कृषि

- हमारे देश से गरीबी तभी दूर होगी जब कृषि का विकास होगा। कम से कम समय में कृषि उत्पादकता को दूना करने के प्रयास किये जायेंगे। इसके लिये आवश्यक उपादान जैसे बीज, उर्वरक, कर्ज, सिंचाई, इत्यादि की व्यवस्था को दुरुस्त किया जायेगा और आधुनिकतम कृषि जानकारी का उपयोग करते हुये कृषि को लाभकारी बनाया जायेगा।
- किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्यायें के कारणों को समाप्त किया जायेगा।
- जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिये मृदा में नष्ट हो रहे सूक्ष्म पोषक तत्वों का सवर्द्धन किया जायेगा।
- किसानों को डीएपी, एनपीके, एमओपी खाद आधे दाम पर उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्रत्येक ग्राम में भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाने के लिये माइक्रो वाटर शेड तकनीकि पर अमल किया जायेगा ताकि भूमि की ऊपरी सतह सुरक्षित बनी रहे।
- फसल बोवाई के तरीकों में आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा ताकि किसान साल में 3 फसलें पैदा कर सके।
- कौन सी स्थानीय पैदावार कब होती है के आधार पर शीत भंडार गृहों की एक श्रंखला विकसित की जायेगी ताकि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले और किसानों को उनके उत्पाद का भरपूर लाभ मिल सके।

- कानूनों में परिवर्तन किया जायेगा (MSP) तथा किसानों को उनके उत्पाद का मूल्य दुगुना कर दिया जायेगा।
- फसलों को लेकर किसानों की प्राकृतिक आपदाजन्य क्षति नुकसान की भरपाई की जायेगी और इसके लिये बाकायदा एक संस्था का गठन किया जायेगा ताकि किसानों को नुकसान का वास्तविक प्रतिदान मिल सके।
- सिंचाई की क्षमता में वृद्धि की जायेगी जिससे किसान को उसकी फसलों के लिये भरपूर सिंचाई सुविधा मिले।
- कृषि, बागवानी तथा अन्य कृषीय उत्पादों के लिये कृषकों को उनके परिश्रम का पूरा मूल्य मिले इसके लिये कानून बनाया जायेगा (MSP) और 2 वर्षों में उनकी आमदनी दुगुनी कर दी जायेगी।
- गन्ना मिलों को गन्ना किसानों द्वारा दिये गये गन्ने के मूल्य का नकद भुगतान किया जायेगा।
- मिलों द्वारा चीनी, खोई, शीरा तथा गन्ने से प्राप्त अन्य पदार्थों पर मिलने वाले लाभ को दृष्टि में रखते हुये गन्ने के मूल्य में वृद्धि की जायेगी।
- सभी गन्ना किसानों को उनकी बकाया राशि ब्याज सहित एक महीने में अदा कर दी जायेगी।

कृषि से जुड़े अन्य कार्यकलाप

- आधुनिक तरीकों के उपयोग से कृषि जनित कार्यकलाप को बढ़ावा देने के लिये जैसे दुग्ध उत्पादन, शूकर पालन, अण्डा उत्पादन, बकरी एवं भेड़ पालन तथा मत्स्य पालन में आने वाली रुकावटों को दूर किया जायेगा
- किसानों को उनके अपने क्षेत्र में आवश्यक कुशलता प्राप्ति के लिये व्यवस्थित रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा।
- प्रसंस्करण इकाइयों एवं शीत भण्डार गृहों की श्रंखला की स्थापना से किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी की जायेगी।

युवा कल्याण

- प्रत्येक बेरोजगार युवा को प्रतिमाह 3000/- रुपये का बेरोजगारी भत्ता तब तक दिया जायेगा जब तक कि वह व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके कम से कम ₹0 15 हजार पाने में सक्षम न हो जाये।
- शिक्षा तथा जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु प्रत्येक युवा को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे।
- शिक्षा के समस्त स्तरों को जिसमें व्यावसायिक शिक्षा यथा : चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन इत्यादि सम्मिलित हैं, अधिकाधिक अवसरों से युक्त किया जायेगा।
- ऐसे प्रत्येक छात्र को जो आर्थिक व्यवसाय चुनना चाहे, प्रोत्साहित किया जायेगा और उसे हर आवश्यक चरण पर प्रशिक्षण मिलेगा।
- यह प्रशिक्षण छात्र के कौशल एवं उसकी प्रतिभा पर आधारित होगा एवं लचीला होने के साथ-साथ व्यवसाय हेतु कर्ज दिये जाने का भी प्रावधान है।
- प्रत्येक युवा को 30 वर्ष की अवस्था से पहले ही व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कर दिया जायेगा ताकि वह बिना किसी समस्या के सम्मानपूर्वक अपनी आजीविका कमा सके।
- ऐसे क्षेत्रों में जहां प्रशिक्षित जन-बल की आवश्यकता है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाये जायेंगे और किसी विशेष कौशल को लेकर मांग उठने पर नये पाठ्यक्रम भी आरम्भ किये जा सकते हैं।
- युवाओं में उद्यमिता की भावना प्रतिष्ठित करने के लिये विशेष पाठ्यक्रम चलाये जायेंगे ताकि युवा अपने स्वयं के रोजगार चला सकें।
- प्रत्येक पाठ्यक्रम में राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में युवाओं की भूमिका का समायोजन रहेगा ताकि वे राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र सेवाओं में सक्रिय सहयोग दे सकें।
- खेलकूद की सुविधाओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा और प्रतिभाशाली युवाओं को विशेष प्रशिक्षण द्वारा उनकी पसन्द के खेलों में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किये जायेंगे ताकि खेलकूद के क्षेत्र में भी देश आगे बढ़ सके।
- नशीले पदार्थों के काले व्यापार का जड़ से सफाया कर दिया जायेगा और शहरी तथा ग्रामीण इलाकों के युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति पर पूरी तरह अंकुश लगाया जायेगा।

महिला कल्याण

- हर प्रकार की मदिरा की बिक्री तथा सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध द्वारा घरों में होने वाली हिंसा पर रोक लगाई जायेगी ताकि महिलाओं की दशा में सुधार हो।
- कन्या शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। विशेष योजनायें चलाई जायेंगी कि लड़कियाँ उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- हर घर को धुआँ रहित ईंधन तथा समुचित शौचालय व्यवस्था जैसी जिन्दगी की बुनियादी सुविधाओं से युक्त कर महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को उन्नत किया जायेगा।
- समस्त राष्ट्र कार्यों में महिलाओं की बराबर की भागीदारी रहेगी। काम करने वाली महिलाओं के लिये हर शहर में महिला हॉस्टल स्थापित किये जायेंगे।
- महिलाओं को सभी क्षेत्रों में उच्च पदों की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी क्योंकि उनकी कार्यक्षमता पुरुषों के समतुल्य है।
- देश के कानून के अनुसार महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को कठोरतम दण्ड दिया जायेगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर अलग से निगाह रखी जायेगी और अपराधियों को बिना अपवाद दण्डित किया जायेगा।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास

- विकसित देशों के समतुल्य देश में चरणबद्ध रूप से विश्व स्तर की सड़क परिवहन व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा। ऐसा समेकित निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुनियोजित रूप से किया जायेगा, जिसमें राजमार्ग, राज्य द्वारा नियंत्रित सड़कें, आन्तरिक एवं ग्राम सड़कों के साथ सेतुओं और सम्पर्क मार्गों का प्रावधान।
- एक आधुनिक, कुशल एवं पर्यावरण के अनुकूल आन्तरिक जल परिवहन व्यवस्था विकसित की जायेगी जिसका रेल तथा सड़क परिवहन से पूर्ण सामन्जस्य रहेगा।
- अन्तर्राज्यीय एवं राज्यों के भीतर परिवहन तथा आवागमन की व्यवस्था का विकास किया जायेगा ताकि पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाये, वस्तुओं एवं अन्य सेवाओं को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा सके।

- भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुये देश के सभी हवाई अड्डों एवं बन्दरगाहों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण किया जायेगा।

बिजली उत्पादन

- बिजली की कमी को पूरा करने के लिये सस्ती, स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा का उपयोग किया जायेगा। पारेषण एवं रखरखाव का खर्च घटाने के उद्देश्य से स्थानीय सौर ऊर्जा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
- दो वर्षों में प्रदेश में ऊर्जा का अभाव समाप्त हो जायेगा।
- बिजली को उपभोक्ता तक सुगम रूप से पहुंचाने के लिये वितरण तथा पारेषण तंत्रों को चुस्त-दुरुस्त बनाया जायेगा।

व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण क्षेत्र

- पूंजी निवेश की लागत को यथा संभव न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रयास किये जायेंगे।
- खेती के अयोग्य भूमि को चिन्हित कर उद्योगों के लिये निर्धारित कर दिया जायेगा तथा उद्योगों के विकास हेतु वहां समस्त अवस्थापना सुविधाओं की संरचना की जायेगी।
- व्यापार एवं वाणिज्य की ओर नागरिकों को आकृष्ट करने के लिये एक विवाद मुक्त वातावरण प्रदान किया जायेगा और अनावश्यक नियंत्रण, अवरोध इत्यादि को समाप्त किया जायेगा ताकि व्यापार को निर्बाध रूप से चलाया जा सके।
- देश में विनिर्माण क्षेत्र यानि मैन्यूफैक्चरिंग के विकास हेतु कदम उठाये जायेंगे।
- विनिर्माण ईकाइयों यानि फैक्टरियों, उद्योगों के लिये नियमित बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जायेगी।
- उद्योग क्षेत्र के लिये सरकार प्रशिक्षित जन-बल तैयार करेगी ताकि यहां से उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में कोई कमी न रहे।
- लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

- उद्योगों को सभी आवश्यक सहायता दी जायेगी और भूमि तथा उनके लिये आवश्यक स्वीकृतियाँ उन्हें 3 दिनों के भीतर मिल जायेंगी और इसके लिये उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक दौड़ना नहीं पड़ेगा।
- किसी भी उद्योग को आरम्भ करने के लिए केवल एक प्रमाण पत्र देना होगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जो अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी न किये जाने वाली शर्तों की सूची में हो।
- जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे कानून के अनुसार सख्त सजा दी जायेगी।

आर्थिक सुधार

- देश अपनी सम्पूर्णता में विकसित हो इस हेतु मुद्रा सम्बन्धी नीतियों में अपेक्षित संशोधन किया जायेगा। नीतियों का उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को यथासम्भव कम करना होगा।
- आर्थिक नीतियों का आधार ऐसा होगा कि सब लोग सुलभ ढंग से वस्तुओं का उपभोग करे लेकिन जनता के किसी विशेष वर्ग द्वारा अत्यधिक उपयोग पर नजर रहेगी।
- ब्याज दरों के बीच असंतुलन, मुद्रा स्फीति, मुद्रा की सप्लाई एवं विनिमय दरों को ठीक-ठाक कर अर्थ व्यवस्था को गति देने के प्रयास किये जायेंगे।
- निर्यात एवं आयात के असंतुलन को दूर करने के लिये देश में विनिर्माण कार्यकलाप को गति देकर उपभोक्ता वस्तुओं की खपत में बदलाव लाया जायेगा।
- कर व्यवस्था को अधिक संतुलित और मानवीय बनाया जायेगा।
- कर वंचना को दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
- काले धन के स्रोतों को प्रभावी ढंग से समाप्त किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा तंत्र

- वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन दरें 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर दूनी 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी जायेंगी ताकि यह वर्ग बेहतर जीवन निर्वाह कर सकें।

- उन लोगों के लिये जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है या बहुत कम है उनके लिये निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जायेगी।
- एक प्रभावी एवं कुशल सामाजिक सुरक्षा तंत्र स्थापित किया जायेगा जिससे गरीब एवं समाज के जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं की ढंग से पूर्ति हो सके।
- असंगठित श्रमिक वर्ग के हितों का भी संरक्षण किया जायेगा।

अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों का कल्याण

- समाज के कमजोर वर्गों को शेष जनता के समकक्ष लाने के लिये सब प्रकार से भरसक प्रयास किये जायेंगे।
- उन्हें जीवन की सभी आवश्यकतायें यथा उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा, स्वारथ्य सुविधायें, आवास एवं स्वच्छता प्रदान की जायेगी।
- समाज के कमजोर वर्गों को जिन समस्याओं से जुङना पड़ता है उन सभी को प्राथमिकता से हल किया जायेगा।
- अल्पसंख्यकों को शेष जनसंख्या के समकक्ष उत्तम शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य नगरीय सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।
- समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को जिन्दगी की सभी जरूरी चीजें प्रदान कर उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि की जायेगी।
- संविधान में उल्लिखित अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पूर्ण संरक्षण किया जायेगा और उनके अधिकारों में किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रहेगा। आरक्षित रिक्त पदों पर तुरन्त भर्ती की जायेगी।
- उचित स्थानों पर सरकारी संस्थायें जैसे स्कूल, कालेज, अस्पताल, राशन की दुकानें इत्यादि स्थापित की जायेंगी ताकि विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोग सुगमता से इनका लाभ उठा सकें। अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी वर्ग, गरीब तबके के सामान्य वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति दुगनी की जायेगी।

- किसी भी समुदाय को एक ही स्थान अथवा वातावरण में मजबूरन रहना पड़े इसे कानून द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा। ताकि विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोग अपनी मनमर्जी से बिना भेदभाव कहीं भी रह सकें।

जल संवर्द्धन एवं प्रबंधन

- भूगर्भीय जल स्रोतों को बढ़ाने अथवा अन्य प्रकार से जल संचयन में वर्तमान समय में 15 प्रतिशत से अधिक वर्षा जल का उपयोग नहीं होता है, जो हमारे पर्यावरण के प्रतिकूल है।
- हर गांव में गहरे तालाब खोदे जायेंगे और वाटर शेड्स इस प्रकार बनाये जायेंगे कि उनमें वर्षा का अधिक से अधिक जल एकत्र हो सके जिससे न केवल भूगर्भीय जल स्तर की वृद्धि होगी सिंचाई बल्कि सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिये भी जल उपलब्ध रहेगा।
- जल की रोकथाम से भूमि की समृद्ध मिट्टी की ऊपरी परत भी अक्षुण्ण रहेगी जिससे नदियों के तल की गहराई बनाये रखने में सहायता मिलेगी और सूखा और बाढ़ की समस्याओं से भी निपटा जा सकेगा।

नदियों का पुनर्जीवन

- नदियों के तलों को वैज्ञानिक ढंग से गहरा किया जायेगा ताकि उनमें बाढ़ की संभावनायें न्यूनतम रहें।
- सभी नदियों में गन्दे जल की निकासी एवं अन्य दूषित बहावों को रोककर उनकी सफाई की जायेगी।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर पूर्णतया साफ किया जल ही नदियों में प्रवाहित होगा।
- नदियों के किनारे विकास (सुन्दरीकरण) योजनाओं को अमल में लाया जायेगा जिससे न केवल नदी का समस्त परिवेश आकर्षक लगेगा बल्कि नदी के पुनर्जीवन हो सकेगा।

आन्तरिक सुरक्षा

- नक्सलवाद एवं आतंक जैसी समस्याओं से कठोरतापूर्वक निपटा जायेगा। एक स्पष्ट संदेश दिया जायेगा कि प्रशासन उनकी सामाजिक एवं आर्थिक

समस्याओं का तत्परता से समधान करेगा किन्तु किसी को भी बलपूर्वक अपनी विचारधारा थोपने तथा कानून को अपने हाथों में लेने की इजाजत इंगित नहीं दी जायेगी।

- प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था में सुधार लाकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सबको काम मिले और उनकी आवाज सुनी जाये और यह कि उनकी शिकायतों पवर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- हर प्रकार के आतंक का सख्ती से सामना किया जायेगा। शिकायतों के कारणों का भी यथा संभव निराकरण होगा।
- ऐसे तत्वों को मिलने वाली बाहरी सहायता से भी निपटा जायेगा।

पर्यावरण सुरक्षा

- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विकास के समस्त कार्यकलाप पर्यावरण के अनुकूल रहे।
- पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली किसी कार्रवाई को प्रश्न्य नहीं दिया जायेगा।
- स्थान विशेष की पर्यावरण विविधता के परिप्रेक्ष्य में ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जायेगा।
- सीमा से अधिक एवं उच्छृंखाल रूप में खनिजों के खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी और इस क्षेत्र में सक्रिय माफिया गीरी से निपटा जायेगा।
- हरीतिमा का विस्तार एक निश्चित समय के भीतर अपेक्षित सीमा स्तर तक किया जायेगा।
- विभिन्न पशु-पक्षियों एवं पेड़ पौधों के प्राकृतिक आवास स्थलों की सुरक्षा की जायेगी।

पर्यटन

- पर्यटन को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी जायेगी और इसके लिये समस्त आवश्यक अवस्थापना सुविधायें जुटाई जायेंगी।
- एक बड़े उद्देश्य को साधने की भाँति पर्यटन के विकास के लिये कुशल प्रशिक्षित जन बल तैयार किया जायेगा और पर्यटन में रोजगार सृजन की उच्चतम क्षमता है।

- अल्प अवधि में ही वायु, सड़क एवं रेल के सम्पर्क साधनों का विकास किया जायेगा और इस कार्य में होटल उद्योग की भूमिका एक भागीदार की रहेगी।

शोध एवं विकास

- देश की समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध होने वाले क्षेत्रों में शोध कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। सर्वप्रथम सौर ऊर्जा, जल-शुद्धिकरण, कम खर्चा पर आवास निर्माण के तरीके, मल एवं गंदे जल का निस्तारण, खाद्य संवर्द्धन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उपादानों को लेकर काम आरम्भ किया जायेगा।
- शोधार्थियों एवं शोध संगठनों को पर्याप्त धन प्रदान किया जायेगा।
- विकसित देशों में किसे जा रहे शोध एवं अनुसंधान के स्तर के समकक्ष उच्च एवं विशेष क्षेत्रों में शोध की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा ताकि हम उन देशों के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें।

डिजिटल अन्तर को पाटने का प्रयास

- आने वाले समय में हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में सूचना एवं संचार तकनीक की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है, अतएव यथासंभव जनता के सभी वर्गों को डिजिटल तकनीक की क्षमता के उपयोग के तरीकों से अवगत कराया जायेगा।
- इसके लिये शुरू से ही स्कूल के पाठ्यक्रमों में छात्रों को आवश्यक संबंधित जानकारी देने की व्यवस्था की जायेगी।
- छात्रों के माध्यम से प्रत्येक घर को जागरूक किया जायेगा कि किस प्रकार वे इस नवीन तकनीक का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिये तैयार रहें।
- सूचना (डाटा) संचार की सुविधायें सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जायेंगी।

जनता की शिकायतों का निवारण

- जनता की शिकायतों के निवारण के सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

- सभी शिकायतों की न केवल प्रगति सूचना (शिकायत के तरीके) दी जायेगी बल्कि उन पर डेढ़ महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जानकारी की आवेदक तक प्रेषित की जायेगी।
- यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदनकर्ता को कार्रवाई की कोई सूचना न मिले तो उसे प्रतिदान में दण्ड स्वरूप धनराशि दी जायेगी।
- दण्ड की राशि उस कर्मचारी/अधिकारी से वसूली जायेगी जिसकी लापरवाही से आवेदक को समय रहते इंगित सूचना नहीं मिल सकी।
- ईमानदारी एवं कुशलता से कार्य—निर्वहन वातावरण का सृजन
- किसी भी सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त नौकरशाह को कोई भी राजनीतिक अथवा उच्च पद नहीं दिया जायेगा— जैसे राज्य का गर्वनर, संगठनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आदि। सभी न्यायाधिकरण, अधिकरण एवं संवैधानिक पदों पर केवल कार्य कर रहे नियमित सरकारी सेवकों की ही नियुक्ति की जायेगी।
- समस्त स्थानों में आने जाने के लिये सड़कों को बंद करने की विशिष्ट एवं अति विशिष्ट संस्कृति का अन्त होगा और सभी लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जा सकने की अनुमति रहेगी।
- व्यवस्था को चुस्त—दुरुस्त, जनता के प्रति संवेदनशील और ईमानदार बनाने के लिये समस्त सरकारी कार्य तंत्र में सुधार लाया जायेगा तथा उसे आपसी विश्वास के आधार पर पुनः स्थापित किया जायेगा।
- सरकार के कार्य करने में कमोबेश आवश्यक अहंतायें विद्यमान हैं। उनमें क्षमता है अवधारण नतीजों और उपायों को निकालने की बशर्ते उन्हें इसके लिये कार्य में सहायक अपेक्षित वातावरण मिले।
- सरकार/प्रशासन/व्यवस्था द्वारा योग्यता एवं कार्यक्षमता को पुरस्कृत किया जायेगा।

उपरोक्त समस्त कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप को मूर्तरूप दिया जा सकता है और इसके लिये अपेक्षित धन एवं अन्य संसाधन भी उपलब्ध हैं। इस विचार

को वास्तविकता में परिवर्तित करने हेतु आवश्यकता है, ईमानदार एवं समर्पित प्रयासों की जिनमें अपेक्षित अनुभव, कार्यकुशलता एवं ज्ञान का समावेश हो।